तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/1/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि भू अभिलेख निरीक्षक / तहसीलदार बानसूर द्वारा अप्रार्थी महेन्द्रनाथ पुत्र ... साकिन ... के द्वारा ग्राम ... स्थित खसरा नं. 1391/... रकबा 0.07 बीघा किस्म ... की भूमि पर वाणिज्यिक / औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु ... लगाकर भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही करते हुए रकबा राज्य घोषित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस तलब किया गया। आदेश दिनांक 25/4/18 को पारित किया गया, जिसके विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर में अपील सं. 2318 RTA/2017/98 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/11/18 को निर्णय पारित कर आदेश दिनांक 25/2/18 खारिज किया गया। माननीय न्यायालय से निर्णय की प्रमाणित प्रति व मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली को पुनः तारीख पेशी पर ली गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब प्रकरण के दर्ज रजिस्टर के आदेश को ही खारिज कर दिया गया है तो प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती। कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने

रा.मु.जो.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बानसूर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ
हुक्म की तामी
में जारी हु

के आदेश फरमाते। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जो संलग्न पत्रावली है। निर्णय में इस न्यायालय को किसी प्रकार से पुन - अनुज्ञा पर निर्णय पारित करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान नहीं किये गये है। अतः अप्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में चल रही कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned by CamScanner